निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 20

25 वैशाख 1941 (श0)
पटना, बुधवार,
15 मई 2019 (ई0)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1–नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-9
भाग-1-क–स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख–मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग–शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2–बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	10-10
भाग-3–भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4–बिहार अधिनियम	---
भाग-5–बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7–संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8–भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9–विज्ञापन	---
भाग-9-क–वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख–निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	---
पूरक	---
पूरक-क	11-13

भाग–1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचनाएं

16 अप्रील 2019

सं0 7/शक्ति प्र0–13–01/2018 सा0प्र0–5225––दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार–राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ–2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भों में अंकित विवरण के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं और निदेश देते हैं कि उक्त कार्मिक बाँका जिला में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) के अतंर्गत दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

अनुसूची

क्र0 स0	कार्मिक का नाम एवं पद नाम	द0प्र0सं0 1973 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है	तिथि/अवधि	प्रयोजन	दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/कार्यपालक)	जिला का नाम
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, बाँका के पत्रांक–104 दि0 09.04.2019 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	द0प्र0सं0 1973 की धारा–20	18.04.2019	लोक सभा आम निर्वाचन, 2019	कार्यपालक दंडाधिकारी	बाँका

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव।

––––––––

10 अप्रील 2019

सं0 7/शक्ति प्र0–13–01/2018 सा0प्र0–**4947**––दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार–राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ–2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भों में अंकित विवरण के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं और निदेश देते हैं कि उक्त कार्मिक औरंगाबाद जिला में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) के अतंर्गत दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

अनुसूची

क्र0 स0	कार्मिक का नाम एवं पद नाम	द0प्र0सं0 1973 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है	तिथि/अवधि	प्रयोजन	दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/कार्यपालक)	जिला का नाम
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक–173 दि0 03.04.2019 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	द0प्र0सं0 1973 की धारा–21	11.04.2019	लोक सभा आम निर्वाचन, 2019	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	औरंगाबाद

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव।

10 अप्रील 2019

सं0 7/शक्ति प्र0–13–01/2018 सा0प्र0–**4937**––दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार–राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ–2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भों में अंकित विवरण के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं और निदेश देते हैं कि उक्त कार्मिक विभिन्न जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) के अतंर्गत दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

अनुसूची

क्र0 स0	कार्मिक का नाम एवं पद नाम	द0प्र0सं0 1973 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है	तिथि/अवधि	प्रयोजन	दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/कार्यपालक)	जिला का नाम
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक–155 दि0 01.04.2019 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	द0प्र0सं0 1973 की धारा–21	11.04.2019	लोक सभा आम निर्वाचन, 2019	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	औरंगाबाद
2	जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पं0)–सह–जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक–29 दि0 08.03.2019 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	द0प्र0सं0 1973 की धारा–21	चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक	पंचायन उप निर्वाचन, 2019	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	औरंगाबाद
3	जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिलाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक–86 दि0 03.04.2019 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	द0प्र0सं0 1973 की धारा–21	18.04.2019	लोक सभा आम निर्वाचन, 2019	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	भागलपुर
4	जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, गया के पत्रांक–101 दि0 05.04. 2019 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	द0प्र0सं0 1973 की धारा–21	चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक	लोक सभा आम निर्वाचन, 2019	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	गया
5	जिला पदाधिकारी, कटिहार के पत्रांक–911 दि0 24.03.2019 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	द0प्र0सं0 1973 की धारा–21	वर्ष 2019–20 के लिए	विधि व्यवस्था	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	कटिहार

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव।

––––––––

15 अप्रील 2019

संख्या–7/शक्ति प्र0–13–01/2018 सा0प्र0–**5146**––दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार–राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ–2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भों में अंकित विवरण के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं और निदेश देते हैं कि उक्त कार्मिक विभिन्न जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) के अतंर्गत दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

सूची

क्र0 स0	कार्मिक का नाम एवं पद नाम	द0प्र0सं0 1973 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है	तिथि/अवधि	प्रयोजन	दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/ कार्यपालक)	जिला का नाम
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह– जिला दण्डाधिकारी, समस्तीपुर के पत्रांक–91 दि0 08.04.2019 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	द0प्र0सं0 1973 की धारा–21	चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक के लिए	लोक सभा आम निर्वाचन, 2019	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	समस्तीपुर
2	जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह–जिला पदाधिकारी, गया के पत्रांक–106 दि0 07.04. 2019 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	द0प्र0सं0 1973 की धारा–21	प्रतिनियुक्ति अवधि के लिए	लोक सभा आम निर्वाचन, 2019 एवं विधि व्यवस्था	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	गया
3	जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह–जिला दण्डाधिकारी, गया के ज्ञापांक–2932 दि0 08.04. 2019 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	द0प्र0सं0 1973 की धारा–21	प्रतिनियुक्ति अवधि के लिए	लोक सभा आम निर्वाचन, 2019 तथा विधि व्यवस्था	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	गया
4	जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह–जिला पदाधिकारी, अररिया के पत्रांक–119 दि0 11.04.2019 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	द0प्र0सं0 1973 की धारा–20	चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक	लोक सभा आम निर्वाचन, 2019	कार्यपालक दंडाधिकारी	अररिया
5	जिला निर्वाचन पदाधिकारी– सह–जिलाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक– 2522 दि0 13.04. 2019 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	द0प्र0सं0 1973 की धारा–20	प्रतिनियुक्ति अवधि के लिए	लोक सभा आम निर्वाचन, 2019	कार्यपालक दंडाधिकारी	खगड़िया

6	जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–812 दि0 25.03.2019 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	द0प्र0सं0 1973 की धारा–21 एवं धारा–144	दिनांक–01.01.2019 से दिनांक 30.06.2019 तक	लोक सभा आम निर्वाचन, 2019 एवं विधि व्यवस्था	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	मुजफ्फरपुर
7	जिलाधिकारी, कैमूर (भभुआ) के पत्रांक–506 दि0 30.03.2019 में अंकित पदाधिकारी :– (1) श्री एहसान अहमद, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, भभुआ (2) मो0 नुरूल एन, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मोहनिया	द0प्र0सं0 1973 की धारा–20	पदस्थापन अवधि के लिए	निर्वाचन कार्य एवं विधि व्यवस्था	कार्यपालक दंडाधिकारी	कैमूर (भभुआ)
8	जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह–जिला पदाधिकारी, अररिया के पत्रांक–70 दि0 07.04.2019 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	द0प्र0सं0 1973 की धारा–20	22.04.2019 से 23.09.2019 तक	लोक सभा आम निर्वाचन, 2019	कार्यपालक दंडाधिकारी	अररिया

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव।

———————

22 अप्रील 2019

सं0 7/शक्ति प्र0–13–01/2018 सा0प्र0–5363––दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार–राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ–2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भों में अंकित विवरण के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं और निदेश देते हैं कि उक्त कार्मिक विभिन्न जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) के अतंर्गत दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

सूची

क्र0 स0	**कार्मिक का नाम एवं पद नाम**	**द0प्र0सं0 1973 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है**	**तिथि/अवधि**	**प्रयोजन**	**दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/कार्यपालक)**	**जिला का नाम**
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
1	जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, अरवल के पत्रांक–62 दि0 08.04.2019 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	द0प्र0सं0 1973 की धारा–21	19.05.2019	लोक सभा आम निर्वाचन, 2019	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	अरवल

2	जिला दण्डाधिकारी, अररिया के ज्ञापांक–1408 दि0 10.04. 2019 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	द0प्र0सं0 1973 की धारा–21	11.04.2019 से 13.04.2019 तक	विधि व्यवस्था	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	अररिया
3	जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, अररिया के पत्रांक–70 दि0 07.04.2019 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	द0प्र0सं0 1973 की धारा–20	22.04.2019 से 23.04.2019 तक	लोक सभा आम निर्वाचन, 2019	कार्यपालक दंडाधिकारी	अररिया
4	जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के पत्रांक–122 दि0 16.04.2019 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	द0प्र0सं0 1973 की धारा–21	चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक	लोक सभा आम निर्वाचन, 2019	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	पश्चिम चम्पारण, बेतिया
5	जिलाधिकारी, सीवान के पत्रांक– 925 दि0 15.04.2019 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	द0प्र0सं0 1973 की धारा–20	चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक	लोक सभा आम निर्वाचन, 2019	कार्यपालक दंडाधिकारी	सीवान
6	जिला दण्डाधिकारी, सहरसा के पत्रांक–38–1 दि0 17.04.2019 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	द0प्र0सं0 1973 की धारा–21	23.04.2019	लोक सभा आम निर्वाचन, 2019	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	सहरसा
7	जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला दण्डाधिकारी, समस्तीपुर के पत्रांक–124 दि0 19.04.2019 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	द0प्र0सं0 1973 की धारा–21	चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक	लोक सभा आम निर्वाचन, 2019	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	समस्तीपुर
8	जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिलाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक–53 दि0 12.04.2019 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	द0प्र0सं0 1973 की धारा–21	चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक	लोक सभा आम निर्वाचन, 2019	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	मधेपुरा
9	जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक–83 दि0	द0प्र0सं0 1973 की धारा–21	निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक	लोक सभा आम निर्वाचन,	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	बेगूसराय

	17.04.2019 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।			2019		

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव।

————————

24 अप्रील 2019

सं0 7/शक्ति प्र0–13–01/2018 सा0प्र0–5430––दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार–राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ–2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भों में अंकित विवरण के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं और निदेश देते हैं कि उक्त कार्मिक विभिन्न जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) के अतंर्गत दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

सूची

क्र0 स0	कार्मिक का नाम एवं पद नाम	द0प्र0सं0 1973 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है	तिथि/अवधि	प्रयोजन	दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/ कार्यपालक)	जिला का नाम
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	जिलाधिकारी, पटना के पत्रांक–919 दि0 22.04.2019 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	द0प्र0सं0 1973 की धारा–21	चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक	लोक सभा आम निर्वाचन, 2019	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	पटना
2	जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिलाधिकारी, समस्तीपुर के पत्रांक–284 दि0 12.04.2019 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	द0प्र0सं0 1973 की धारा–21	चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक	लोक सभा आम निर्वाचन, 2019	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	समस्तीपुर
3	जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक–210 दि0 08.04.2019 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	द0प्र0सं0 1973 की धारा–21	11.04.2019	लोक सभा आम निर्वाचन, 2019	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	औरंगाबाद
4	जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिलाधिकारी, समस्तीपुर के पत्रांक–274 दि0 09.04.2019 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	द0प्र0सं0 1973 की धारा–21	चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक	लोक सभा आम निर्वाचन, 2019	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	समस्तीपुर

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव।

————————

26 अप्रील 2019

सं0 7/शक्ति प्र0–13–01/2018 सा0प्र0–5570––दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार–राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ–2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भों में अंकित विवरण के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं और निदेश देते हैं कि उक्त कार्मिक सीवान जिला में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) के अतंर्गत दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

अनुसूची

क्र0 स0	कार्मिक का नाम एवं पद नाम	द0प्र0सं0 1973 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है	तिथि/अवधि	प्रयोजन	दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/ कार्यपालक)	जिला का नाम
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पत्रांक–466 दि0 24.04. 2019 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	द0प्र0सं0 1973 की धारा–20	चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक	लोक सभा आम निर्वाचन, 2019	कार्यपालक दंडाधिकारी	सीतामढ़ी
2	जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के पत्रांक–52 दि0 25. 04.2019 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	द0प्र0सं0 1973 की धारा–21	06.05.2019 एवं 12.05.2019	लोक सभा आम निर्वाचन, 2019	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	सारण, छपरा
3	जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के पत्रांक–123 दि0 17.04.2019 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	द0प्र0सं0 1973 की धारा–21	चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक	लोक सभा आम निर्वाचन, 2019	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	पश्चिम चम्पारण, बेतिया
4	जिलाधिकारी, सीवान के पत्रांक–925 दि0 15.04.2019 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	द0प्र0सं0 1973 की धारा–20	चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक	लोक सभा आम निर्वाचन, 2019	कार्यपालक दंडाधिकारी	सीवान

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव।

————————

29 अप्रील 2019

सं0 7/शक्ति प्र0–13–01/2018 सा0प्र0–5679––दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार–राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ–2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भों में अंकित विवरण के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं और निदेश देते हैं कि उक्त कार्मिक सीवान जिला में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) के अतंर्गत दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

अनुसूची

क्र0 स0	कार्मिक का नाम एवं पद नाम	द0प्र0सं0 1973 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है	तिथि/अवधि	प्रयोजन	दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/ कार्यपालक)	जिला का नाम
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, वैशाली के पत्रांक–76 दि0 26.04.2019 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	द0प्र0सं0 1973 की धारा–20	चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक	लोक सभा आम निर्वाचन, 2019	कार्यपालक दंडाधिकारी	वैशाली
2	जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, वैशाली के पत्रांक–75 दि0 26.04.2019 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	द0प्र0सं0 1973 की धारा–20	चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक	लोक सभा आम निर्वाचन, 2019	कार्यपालक दंडाधिकारी	वैशाली

3	जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, रोहतास के पत्रांक–135 दि0 22.04.2019 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	द0प्र0सं0 1973 की धारा–21	19.05.2019	लोक सभा आम निर्वाचन, 2019	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	रोहतास
4	जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पत्रांक–68 दि0 27.04.2019 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	द0प्र0सं0 1973 की धारा–20	चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक	लोक सभा आम निर्वाचन, 2019	कार्यपालक दंडाधिकारी	पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी
5	जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला दण्डाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक–849 दि0 15.04.2019 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	द0प्र0सं0 1973 की धारा–21	21.04.2019 से 24.04.2019 तक	लोक सभा आम निर्वाचन, 2019	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	मधुबनी

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव।

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना
18 फरवरी 2019

सं0 2/थाना–10–34/2015 गृ0आ0–**1596**––चूँकि राज्य सरकार द्वारा गृह विभाग, (आरक्षी शाखा) के स्वीकृत्यादेश सं0–721 दिनांक 23.01.2019 द्वारा समस्तीपुर जिला के बिथान अन्तर्गत **"लरझा घाट थाना"** के सृजन की स्वीकृति संबंधी निर्णय संसूचित किया गया है ;

इसलिए, अब, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा, 2 की उप–धारा (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, उक्त थाना को, स्वीकृत्यादेश निर्गत होने की तिथि के प्रभाव से **"लरझा घाट थाना"** के रूप में घोषित करती है। इसकी स्थानीय अधिकारिता स्वीकृत्यादेश सं0–721 दिनांक 23.01.2019 में विनिर्दिष्ट की जा चुकी है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
ईश्वर चन्द्र सिन्हा, संयुक्त सचिव।

The 18th February 2019

No. 2/Thana-10-34/2015 H.(P)-**1596**---Whereas, the State Government has communicated its decision regarding creation of "**Larjha Ghat Police Station**" in District Samastipur vide Home Department's (Police Branch) sanction order No. 721 dated 23.01.2019;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (S) of Section-2 of the Code of Criminal Procedure, 1973, the State Government, hereby, declares the aforesaid Police Station as "**Larjha Ghat Police Station**" with the effect from dated 23.01.2019 of isssuance of the sanction order. It's local jurisdiction has been specified in sanction order No. 721 dated 23.01.2019.

By the order of the Governor,
Ishwar Chandra Sinha, *Joint Secretary.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 8–571+10–डी0टी0पी0।
Website : http://egazette.bih.nic.in

भाग–2

बिहार–राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

निर्वाचन विभाग

शुद्धि पत्र

10 मई 2019

सं० ई2–02–034/2018–**4661**––बिहार लोक सेवा आयोग के 56वीं से 59वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार निर्वाचन सेवा के अवर निर्वाचन पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग, पटना का पत्रांक– 7ए/सं0प्र0प0–01–09/2015 (227) लो0से0आ0 दिनांक 22.10.2018 द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में अनुशंसित अभ्यर्थियों में से 19 अभ्यर्थियों को विभागीय अधिसूचना सं0 ई2–02–034/2018–02 दिनांक 08.01.2019 द्वारा अवर निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में औपबंधिक रूप से नियुक्त करते हुए अवर निर्वाचन पदाधिकारी (परीक्ष्यमान) के रूप में पदस्थापित किया गया है। अधिसूचित पदस्थापन के क्रम संख्या 2 पर अंकित श्रीमती वेद रिचा का मेधा क्रमांक 442 के स्थान पर, **मेधा क्रमांक 422** एवं क्रम संख्या 4 पर अंकित मो0 अबु परवेज हैदर हैदरी के स्थान पर **अबु परवेज हैदर हैदरी** पढ़ा जाये।

उक्त अधिसूचना की शेष अंश/कंडिकाएँ यथावत रहेगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रत्नेश झा, संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 8–571+10–डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

बिहार गजट
का
पूरक (अ0)
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं0 कारा/नि0को0(कर्म0)–08–01/2014––3472

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय

गृह विभाग (कारा)

संकल्प

3 मई 2019

श्री वीर चन्द्र प्रसाद सिंह, तत्कालीन निदेशक (कर्मशाला), कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरूद्ध विशेष निगरानी इकाई, बिहार, पटना द्वारा ''भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988'' के तहत दर्ज किये गये प्राथमिकी निगरानी वाद संख्या–02/2014 दिनांक 27.01.2014 तथा भ्रष्ट आचारण, पद के दुरूपयोग एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली–1976 के नियम–19(6) के घोर उल्लंघन के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–9(1)(क) एवं (ग) के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक 861 दिनांक 14.02.2014 द्वारा श्री सिंह को निलम्बित करते हुए निलम्बनावस्था में उनका मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, मगध प्रमंडल, गया निर्धारित किया गया। साथ ही उक्त प्रतिवेदित आरोपों के लिए प्रपत्र 'क' में गठित आरोप के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1820 दिनांक 07.04.2014 द्वारा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी थी। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु विभागीय जांच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक 6320 दिनांक 08.12.2014 द्वारा श्री सिंह को निलम्बन से मुक्त किया गया।

3. विभागीय आदेश ज्ञापांक 7871 दिनांक 02.11.2018 के द्वारा श्री सिंह को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि दिनांक 30.09.2018 के प्रभाव से उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली–1950 के नियम 43 (बी) के तहत सम्परिवर्तित किया गया।

4. संचालन पदाधिकारी–सह–अपर विभागीय जांच आयुक्त, बिहार, पटना के पत्रांक 1279 (अनु0)/अ0वि0जां0आ0 दिनांक 27.03.2017 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी ने विभागीय कार्यवाही के संचालन के उपरान्त अपने विश्लेषण में अंकित किया है कि :–

''आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध आरोप पत्र में मात्र विशेष निगरानी इकाई द्वारा भेजे गये प्राथमिकी की प्रति साक्ष्य के रूप में लगायी गई है एवं इसके साथ उनके द्वारा वर्ष 2013–14 के लिए दी गई चल–अचल सम्पत्ति का ब्यौरा लगाया गया है। प्राथमिकी में आय से अधिक सम्पत्ति की गणना करने के लिए मात्र आरोपित पदाधिकारी की अनुमानित बचत रु0 2,44,51,000/–(दो करोड़ चौवालीस लाख इक्यावन हजार रूपये) मात्र को माना गया है, जबकि कुल रु0 6.65 करोड़ की परिसम्पत्तियाँ, उनकी परिसम्पत्तियों के रूप में दिखायी गई है। आरोपित पदाधिकारी द्वारा दिये गये बचाव बयान एवं विभाग द्वारा दिये गये मंतव्य से निम्नांकित दो बिन्दु पूर्णतः स्पष्ट होते है :–

(क) जो परिसम्पत्तियाँ आरोपित पदाधिकारी की दिखायी गई है, वे आरोपित पदाधिकारी की अकेले की नहीं बल्कि आरोपित पदाधिकारी तथा उनकी पत्नी के द्वारा संयुक्त रूप से अर्जित सम्पत्तियाँ हैं जबकि आय में उनकी पत्नी की आय पर विचार ही नहीं किया गया है।

(ख) विभाग द्वारा दिये गये मंतव्य से यह भी स्पष्ट है कि विशेष निगरानी इकाई द्वारा प्राथमिकी में दिखायी गई परिसम्पत्तियों को आरोपित पदाधिकारी द्वारा विभाग में दायर सम्पत्ति विवरणी में दिखाया गया है एवं जहाँ भी अनुमति/सूचना की आवश्यकता थी, वह ली गई है।

श्री सिंह के द्वारा अपने एवं पत्नी की आयकर विवरणी की प्रतियाँ भी दाखिल की गई हैं एवं निवेश के स्त्रोतों के संबंध में कागजात दाखिल किये गये हैं। इससे स्पष्ट होता है कि इनके उपर किसी भी प्रकार की अघोषित सम्पत्ति धारित करने या आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने का मामला नहीं बनता है। इस प्रकार आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध आरोप

पत्र में दिये गये साक्ष्य, विभागीय मंतव्य एवं आरोपित पदाधिकारी द्वारा दी गई विस्तृत विवरणी के आधार पर आरोपित पदाधिकारी पर आय से अधिक सम्पत्ति का मामला प्रमाणित नहीं होता है।

आरोप संख्या–02 में सेक्टर–22, गुड़गाँव की एक सम्पत्ति के बारे में यह दर्शाया गया है कि यह उनके द्वारा घोषित नहीं की गई है जबकि आरोपित पदाधिकारी ने यह अंकित किया है कि इस सम्पत्ति को वर्ष 2012–13 में ही घोषित किया जा चुका है। इसके अलावा Royal King Resort में Invest की गई पूरी सम्पत्ति को इनकी सम्पत्ति के रूप में दर्शाया गया है जबकि उसमें इनकी पत्नी एक शेयरधारक हैं एवं इनकी पत्नी के नाम के शेयर इनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 में घोषित की गई है, जिसे अपनी विवरणी में अंकित किया गया है।''

5. इस प्रकार विभागीय कार्यवाही के निष्कर्ष के रूप में संचालन पदाधिकारी ने विभागीय कार्यवाही में उपलब्ध सभी संगत कागजातों एवं विभागीय मंतव्य के आधार पर निष्कर्ष एवं निर्णय अंकित किया है कि :–

''आरोपित पदाधिकारी के उपर लगाये गये आरोप, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं स्पष्टीकरण पर प्राप्त विभागीय मंतव्य तथा आरोपित पदाधिकारी द्वारा सम्पत्तिवार, निवेशवार दिया गया ब्यौरा तथा अपनी आय के संबंध में दिये गये विस्तृत विवरणी से यह स्पष्ट है कि आरोपित पदाधिकारी पर आरोप संख्या–1 एवं 2 प्रमाणित नहीं होता है।''

6. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में विभागीय कार्यवाही के अधिगम एवं अन्य संगत कागजातों की समीक्षा के उपरान्त यह स्पष्ट होता है कि विभागीय कार्यवाही में आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं हुआ है और इस विभागीय कार्यवाही का प्रतिवेदन लगभग 02 वर्षों के उपरान्त संचालित होकर प्राप्त हुआ है।

7. अतः सम्यक् विचारोपरान्त संचालन पदाधिकारी के अधिगम से सहमत होते हुए श्री वीर चन्द्र प्रसाद सिंह, तत्कालीन निदेशक (कर्मशाला), कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के निष्कर्ष के आलोक में उन्हें आरोप मुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
दीवान जाफर हुसैन खाँ, संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0)।

————————

सं0 कारा / नि0को0(अधी0)–01–02 / 2014––3595

संकल्प

7 मई 2019

श्री प्रेम कुमार, तत्कालीन काराधीक्षक, मंडल कारा, सीतामढ़ी (सम्प्रति निलंबित) संलग्न शहीद जुब्बा सहनी केन्द्रीय कारा, भागलपुर के विरूद्ध निगरानी विभाग, बिहार, पटना द्वारा आय के ज्ञात श्रोत से अधिक धनार्जन के मामले में निगरानी थाना काण्ड संख्या–102 / 06 दिनांक 30.12.2006 दर्ज किये जाने के फलस्वरूप अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2871 दिनांक 03.06.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी थी ।

2. श्री कुमार के मंडल कारा, सीतामढ़ी में पदस्थापन के दौरान आपूरक से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किये जाने के मामले में दर्ज निगरानी थाना काण्ड संख्या–73 / 06 दिनांक 07.11.2006 के आलोक में उनके विरूद्ध संस्थित एक अन्य विभागीय कार्यवाही के फलाफल के उपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प संख्या–6348 दिनांक 14.10.2015 के द्वारा उन्हें ''सेवा से बर्खास्तगी'' का दंड अधिरोपित किया गया था ।

3. श्री कुमार को बर्खास्त कर दिये जाने के फलस्वरूप उनके विरूद्ध आय से अधिक धनार्जन से संबंधित संचालित विभागीय कार्यवाही को विभागीय आदेश ज्ञापांक 1255 दिनांक 25.02.2016 के द्वारा तत्काल स्थगित रखे जाने का आदेश पारित किया गया ।

4. ''सेवा से बर्खास्तगी'' संबंधी दण्डादेश के विरूद्ध श्री प्रेम कुमार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना मे दायर रिट C.W.J.C. No.-10664 / 2016 में दिनांक 19.04.2017 को पारित न्यायादेश के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक 7006 दिनांक 11.12.2017 द्वारा ''सेवा से बर्खास्तगी'' के दण्ड को निरस्त करते हुए श्री कुमार को सेवा में पुनर्स्थापित किया गया ।

5. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में श्री कुमार के विरूद्ध आय से अधिक धनार्जन करने के इस मामले में उनके विरूद्ध स्थगित विभागीय कार्यवाही को पुनः आरम्भ करने के पूर्व विधि विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में मामले की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार को निलंबित कर उनके विरूद्ध संकल्प ज्ञापांक 2871 दिनांक 03.06.2017 द्वारा संसूचित एवं आदेश ज्ञापांक 1255 दिनांक 25.02.2016 द्वारा स्थगित विभागीय कार्यवाही को पुनः आरम्भ करने का निर्णय लिया गया।

6. तद्आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1302 दिनांक 27.02.2018 द्वारा श्री कुमार के आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के मामले में उन्हें निलंबित करते हुए उनके विरूद्ध स्थगित विभागीय कार्यवाही को पुनः आरम्भ किया गया। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु विभागीय जांच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

7. आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के इस मामले में श्री कुमार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर वाद सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–2542 / 2017 में दिनांक 25.09.2018 को न्यायादेश पारित किया गया है जिसका कार्यशील अंश निम्नवत् है :–

"In that view of the matter, this Court directs the Special Judge to conclude the trial within a period of nine months from the date of receipt of this order and, equally, the Superintendent of Police, Vigilance, is also directed to ensure presentation of the prosecution witness and further it is directed that on the day of appearance of the witness, his examination and cross-examination should be completed. The Court will not accede the prayer for adjournment on the plea of cross-examination. If the examination is not concluded, it will continue on the next date and the trial should be concluded on day-to-day basis. After the completion of the trial, the Presiding Officer will submit a report to this Court for perusal and, till pendency of the D.P. case, the departmental proceeding will be kept in abeyance and, after completion of the trial, the departmental enquiry will automatically revive and the prosecution will be at liberty to proceed further in the departmental proceeding.

With the aforementioned observation and direction, this writ application is disposed of."।

8. उपरोक्त न्यायादेश के आलोक में संचालन पदाधिकारी–सह–विभागीय जांच आयुक्त द्वारा दिनांक 03.10.2018 को सुनवाई में विभागीय कार्यवाही को Abeyance में रखे जाने का आदेश पारित किया गया ।

9. एल0पी0ए0 नं0–130/2019 (In C.W.J.C NO-2542/2017) में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 01.04.2019 को पारित न्यायादेश का कार्यशील अंश निम्न प्रकार है :–

" We, therefore, dispose of this appeal and modify the impugned judgement of the learned Single Judge keeping in view the final judgment dated 4th March, 2009 and the reinstatement of the appellant in the past that the suspension order dated 27th February, 2018 shall remain in abeyance till any fresh orders are passed in this regard allowing the disciplinary authority to continue with the disciplinary proceedings after the conclusion of the criminal case.

The appeal stands disposed of accordingly. It shall be open to the authorities to allocate such work to the appellant as it may find necessary. ''

11. उपरोक्त न्यायादेश अन्तर्गत निलंबन आदेश को सुषुप्तावस्था (abeyance) में रखने का निदेश है, वह अन्तरिम प्रकृति का (" till any fresh orders are passed in this regard allowing the disciplinary authority to continue with the disciplinary proceedings after the conclusion of the criminal case.") है।

12. अतएव उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में एल0पी0ए0 नं0–130/2019 (In C.W.J.C NO-2542/2017) में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 01.04.2019 को पारित आदेश के आलोक में श्री प्रेम कुमार, काराधीक्षक (सम्प्रति निलंबित) का निलंबन आदेश ज्ञापांक 1302 दिनांक 27.02.2018 को अगले आदेश पारित होने तक सुषुप्तावस्था (abeyance) में रखा जाता है।

आदेशः–**आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।**

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
दीवान जाफर हुसैन खाँ, संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 8–571+10–डी0टी0पी0।
Website : http : / / egazette . bih . nic . in